राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

राआबैंक(नदि)/डीआरएस/नीति सं. 38/2011
25 अप्रैल, 2011

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

महोदय,

आवास वित्त कंपनियों के लिये आदर्श व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश-
प्रोसेसिंग शुल्क/प्रभारों से संबंधित सभी जानकारी का प्रकटीकरण

कृपया हमारे परिपत्र राआबैंक(नदि)/डीआरएस/नीति सं. 34/2010-11 दिनांक 11 अक्तूबर, 2011 का संदर्भ लें जिसमें उचित व्यवहार संहिता तैयार करने/संशोधित करने के लिये आवास वित्त कंपनियों को दिशानिर्देश जारी किये गए थे ।

2. कथोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, आवास वित्त कंपनियों को निष्पक्ष और पारदर्शिता पूर्ण ढंग से कार्रवाई करने तथा ब्याज दरों, सामान्य शुल्क और प्रभारों आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिये सूचित किया गया था। निष्पक्षता और अधिक पारदर्शिता लाने के लिये कथोक्त दिशानिर्देशों में निम्नलिखित दिशानिर्देश शामिल करके संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, यथा :-

> "2क. आवास वित्त कंपनियों को अपने ऋणकर्ताओं को ऋण आवेदन की प्रोसेसिंग पर देय शुल्क/प्रभारों, यदि ऋण राशि मंजूर नहीं की गई/संवितरित नहीं की गई तो लौटाये जाने वाले शुल्क की राशि, समय-पूर्व भुगतान का विकल्प एवं प्रभार, यदि कोई हों, देरी से ऋण चुकता करने पर पेनल्टी, यदि हो, फिक्स से फ्लोटिंग दरों या इसके विपरीत, में ऋण को परिवर्तित करने पर प्रभार, ब्याज दर को पुनः निर्धारित करने की कोई मौजूदा शर्त तथा अन्य कोई मामला जिससे ऋणकर्ता की ब्याज दर प्रभावित होती हो, के बारे में सभी जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराएं ।"

3. उचित व्यवहार संहिता संबंधी उपर्युक्त दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन बोर्ड की स्वीकृति से 30 जून, 2011 तक करा लिये जाएं। संशोधित उचित व्यवहार संहिता को आवास वित्त कंपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के साथ-साथ पूरा प्रचार भी करें । उनकी एक प्रति रा.आ. बैंक को प्रेषित करें ।

कृपया पावती दें ।

भवदीय

राधेश्याम

(आर. एस. गर्ग)
महाप्रबंधक